# छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

## प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

### योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया (निर्णय लेने की प्रक्रिया) –

यह योजना सर्वप्रथम ब्लाक स्तर पर तैयार की जायेगी, जो नियमावली में निहित निर्देशों एवं जिला पंचायत द्वारा बतायी गयी प्राथमिकताओं के अनुरूप होगी । संक्षेप में विद्यमान सड़क कोरनेटवर्क तैयार किया जायेगा, सम्पर्क विहीन बसाहटों का निर्धारण किया जायेगा और इन सम्पर्कहीन बसाहटों को जोड़ने के लिये अपेक्षित सड़कें बनाई जायेंगी । इससे ब्लाक स्तरीय मास्टर प्लान बन पाएगा ।

एक बार यह कार्य पूरा हो जाता है, तो विद्यमान और प्रस्तावित सड़क सुविधओं का बेहतर उपयोग कर ब्लाक के लिये कोरनेटवर्क इस तरह से बन जायेगा कि समस्त पात्र बसाहटों को आधारभूत पहुॅच सुनिश्चित हो जायेगी । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि प्रत्येक बसाहट सड़क सम्पर्क वाली एक बसाहट या एक बारहमासी सड़क से 500 मीटर (पहाडों में 1.5 कि.मी. की पथ दूरी) के अन्दर हो । प्रस्तावित रोड सम्पर्कों का नक्शा बनाते समय, लोगों की अपेक्षाओं को सामाजिक–आर्थिक/अवसंरचनात्मक मूल्यों (सड़क तालिका) को उपयुक्त वेटेज देकर और अधिकतम सड़क तालिका को चयन के लिये समेकित करते हुए ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

ब्लाक स्तरीय मास्टर प्लान और कोरनेटवर्क को इसके पश्चात् कोरनेटवर्क को विचारार्थ एवं अनुमोदन के लिए मध्य स्तरीय पंचायत के समक्ष पेश किया जाता है । इसके बाद ही, इसे समस्त सम्पर्कविहीन बसाहटों की सूची के साथ सांसद सदस्यों एवं विधायकों के पास उनकी टिप्पणियों के लिए, यदि कोई हो, भेज दिया जाता है । मध्य स्तरीय पंचायत द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद योजनाओं को जिला पंचायत के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा । यह जिला पंचायत का दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि सांसद सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर पूर्ण विचार किया जा रहा है, जो इन दिशा–निर्देशों के फ्रेमवर्क के अन्दर हो । जिला पंचायत द्वारा एक बार स्वीकृति मिलने के बाद कोरनेटवर्क की एक प्रति राज्य–स्तरीय एजेन्सी के साथ–साथ राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी को भेजी जाएगी । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कोई सड़क नए सम्पर्क या सुधार (जहॉ अनुमति दी गई हो) के लिये तब तक प्रस्तावित नही की जा सकती जब तक कि यह कोरनेटवर्क का हिस्सा नहीं बन जाती है ।

योजना के क्रियान्वयन में प्रारंभ से लेकर अंत तक समस्त गतिविधियां जैसा जिला ग्रामीण सड़क योजना एवं कोरनेटवर्क में तैयार किया जाना प्राथमिकता के आधार पर सड़कों का चयन कर उनका सर्वेक्षण करना एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना तथा प्राक्कलन तैयार करना, निविदाऍं बुलाना, निर्माण कार्य का क्रियान्वयन, परियोजना को पूर्ण करना एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात संधारण की समग्र निगरानी एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण कर गठन 25 मार्च

2003 को किया गया है जो छत्तीसगढ़ सोसायटी  रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है ।

योजना के समग्र क्रियान्वयन हेतु मैदानी स्तर पर प्रत्येक जिले में समर्पित जिला परियोजना क्रियान्वयन इकाई स्थापित किया गया है जो योजना तैयार करने से लेकर क्रियान्वयन तक के लिये जवाबदेह है । विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा योजना को गति देने के लिये जिले के कलेक्टर को इसका अध्यक्ष बनाया गया है तथा कार्यपालन अभियंता इस परियोजना क्रियान्वयन इकाई के सदस्य सचिव है ।